कुरुक्षेत्र

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा

पृष्ठभूमि

- सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य नागरिकों को जीवन के विभिन्न चरणों में आर्थिक अनिश्चितताओं एवं कठिनाइयों से बचाना है। बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे प्राय: आर्थिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत जैसे देश में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में बुज़ुर्गों की देखभाल हो जाती थी। हालाँकि, शहरीकरण से बदलते पारिवारिक ढाँचे एवं सामाजिक मानदंडों ने औपचारिक राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

भारत में बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी

- वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुज़र रहा है जहाँ बुज़ुर्गों की आबादी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
- तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट-2019 के अनुसार, बुज़ुर्गों (60 वर्ष एवं उससे अधिक) की आबादी वर्ष 2011 में 103.8 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2031 तक 194 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- देश की कुल आबादी में बुज़ुर्गों की प्रतिशत हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो वर्ष 1951 में 5.5% से बढ़कर वर्ष 2021 में 10.1% और वर्ष 2036 तक 14.9% तक पहुँचने का अनुमान है।

भारत में बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- देश में बदलते सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं विकास परिदृश्य के मद्देनज़र सरकार ने बुज़ुर्ग नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएँ तथा कार्यक्रम शुरू किए हैं-
- **वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (1999):** यह भारत में वृद्ध आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने संबंधी पहली नीति थी। इसका उद्देश्य एक व्यापक समर्थन प्रणाली बनाना था जिसमें वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, कानूनी सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- यह नीति संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस पहल के अनुरूप थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 1999 को 'वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया गया था।
- **बुज़ुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrC):** इसकी शुरुआत वर्ष 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए स्वस्थ, गरिमापूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा देना है। साथ ही, सामाजिक एवं अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को मज़बूत करना है।

पेंशन एवं बीमा योजनाएँ

- पेंशन बुज़ुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं-
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम :** वर्ष 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले बुज़ुर्गों, विधवाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायत्ता प्रदान करना था।

- इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कर्मचारी पेंशन योजना:** इसको वर्ष 1995 में औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसके तहत कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों पेंशन कोष में योगदान करते हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद उपलब्ध होता है। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के अलावा यह योजना विकलांगता के मामलों में और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को भी पेंशन प्रदान करती है।
- **अटल पेंशन योजना:** इस योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की वृद्धावस्था के लिए आय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह योजना 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को मासिक, तिमाही या वार्षिक योगदान के माध्यम से सेवानिवृत्ति के लिए बचत को प्रोत्साहित करती है जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 रुपए तक की गारंटीकृत पेंशन मिलती है।
- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना:** वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना है। इसे जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया था।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:** इसकी शुरुआत 4 मई, 2017 को की गई थी। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों के लिए एक सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है। इसका वार्षिक प्रीमियम केवल 200 रुपए है।
- यह योजना दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए एवं आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहल

- वृद्धावस्था में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएँ और कार्यक्रम लागू किए हैं-
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** इसको अक्तूबर 2007 में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने शुरू किया था। यह बी.पी.एल. श्रेणी से संबंधित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 30,000 रुपए का कवरेज प्रदान करती है।
- **वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रम:** इसे वर्ष 2010 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को विशेष एवं व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
- यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने के साथ-साथ बुज़ुर्ग देखभाल के लिए समर्पित बुनियादी ढाँचे के विकास पर भी केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना:** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने की जो कि वृद्धावस्था से संबंधित विकलांगताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सहायता उपकरण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना:** 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गई यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों सहित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, जिनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, के लिए अस्पताल भर्ती में हुए माध्यमिक एवं तृतीयक में भर्ती खर्चों को कवर करती है। इसमें प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज है।

- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष:** इसे वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्थापित किया था जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

जीविका एवं कौशल विकास पहल

- वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय बढ़ाने एवं उत्पादक गतिविधियों में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं-
- **वरिष्ठ नागरिकों के गरिमामय पुन: रोज़गार:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पुन: रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अक्तूबर, 2021 को शुरू किया गया था।
- **एक्शन ग्रुप्स एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन (AGRASR) समूह :** ये समूह वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं सहायता समूह (SHGs) बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे वे अपने समय का रचनात्मक उपयोग कर सकें और उन गतिविधियों में शामिल हो सकें, जिनसे बाज़ार योग्य उत्पाद तैयार हो सकें।
- **प्रमोशन ऑफ सिल्वर इकोनॉमी:** यह पहल उन स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करती है जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए उत्पाद, प्रक्रियाएँ एवं सेवाएँ विकसित कर रहे हैं।

आवास एवं कल्याण योजनाएँ

- **डे केयर केंद्रों की स्थापना:** इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के साथ ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। इनका उद्देश्य बुज़ुर्गों के अकेलेपन को कम करना और उनके मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करना है।

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC):** इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई। इसके तहत सरकार द्वारा एन.जी.ओ. को अनुदान देकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों को सहायता प्रदान की जा रही है।
- **रिवर्स मॉर्टगेज योजना:** वर्ष 2007 में प्रारंभ यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों को बैंकों के पास गिरवी रखने और बदले में नियमित भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह उन बुज़ुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जिनके पास घर है किंतु नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सुरक्षा एवं अधिकार

- **माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007:** सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा से संबंधित यह अधिनियम वर्ष 2007 में पारित किया गया। यह निर्धारित करता है कि बच्चों का अपने बुज़ुर्ग माता-पिता का भरण-पोषण करना कानूनी दायित्व है।
- इसके तहत बच्चों द्वारा उपेक्षा या परित्याग की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान है।
- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति, 2011:** यह नीति वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, देखभाल एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्त्व पर ज़ोर देती है। इस नीति के तहत स्वास्थ्य देखभाल, आवास एवं पेंशन कार्यक्रमों के व्यापक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन:** बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन भी स्थापित किए गए हैं। ये हेल्पलाइन बुज़ुर्गों को दुर्व्यवहार, वित्तीय शोषण या उपेक्षा के मामलों में त्वरित सहायता प्रदान करती है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा
- जागरूकता का अभाव
- आवश्यक संसाधनों की कमी
- वित्तीय असुरक्षा
- स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में कमी
- डिजिटल विभाजन
- कौशल का अभाव
- लैंगिक असमानता
- बुज़ुर्गों में सामाजिक अलगाव

आगे की राह

- बुज़ुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है जिसमें सार्वभौमिक पेंशन कवरेज का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए आवेदन प्रक्रियाओं का सरलीकरण प्राथमिकता होनी चाहिए।
- इसके अलावा कमज़ोर समूहों, विशेष रूप से बुज़ुर्ग महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का समर्थन करने के लिए लक्षित पहल महत्त्वपूर्ण हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन कार्यक्रमों तक समान पहुँच हो।
- अधिकारों एवं उपलब्ध संसाधनों के बारे में अधिक जागरूकता और कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ करके भारत एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकता है।

विकास एवं समृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा

संदर्भ

- सतत् विकास लक्ष्यों के एक हिस्से के रूप में सामाजिक सुरक्षा को स्पष्टत: रूप से स्वीकार किया गया है जिसमें पहला लक्ष्य ही 'सभी जगह से सभी प्रकार की गरीबी का अंत' करना है। यह सभी के लिए, विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के लिए उचित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एवं उपायों के कार्यान्वयन का आह्वान करता है। साथ ही, यह वर्ष 2030 तक 'गरीब एवं असुरक्षित लोगों की पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा' का लक्ष्य प्राप्त होने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के लिए गठित आयोग के नागरिक समाज घोषणा-पत्र के अनुसार, दुनिया की लगभग 71% आबादी के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव है तथा 75 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी एवं असुरक्षा के वातावरण में जी रहे हैं।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में व्यक्तियों, समुदायों, राष्ट्रों व समाजों के सतत् सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कारण सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं-
  - गरीबी को रोकने और कम करने में सहायक
  - कमज़ोर वर्गों का सामाजिक समावेशन
  - आर्थिक विकास में सहायक
  - उपभोग, बचत व निवेश में वृद्धि
  - मानव विकास को प्रोत्साहन

- पोषण व शिक्षा तक आसान पहुँच
- बेहतर स्वास्थ्य परिणाम
- बाल श्रम में गिरावट
- उत्पादकता एवं रोज़गार क्षमता में वृद्धि
- मानव पूंजी और उत्पादक संपत्ति में सुधार
- राजनीतिक स्थिरता
- सामाजिक तनाव और हिंसक संघर्ष में कमी
- सामाजिक सामंजस्य और भागीदारी

➢ सामाजिक सुरक्षा एक मानवाधिकार है जिसका पूरा लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को मिलना चाहिए जिसमें बच्चे, माताएँ, विकलांग व्यक्ति, श्रमिक, बुज़ुर्ग, प्रवासी, मूल निवासी व अल्पसंख्यक शामिल हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

➢ **नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा:** भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में 86osa संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

➢ यह योजना न केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती है।

➢ **पी.एम. पोषण योजना:** इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई। इसे 'मध्याह्न भोजन योजना' के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इसे 'पी. एम. पोषण योजना' का नाम दिया गया है।

- इस योजना के तहत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है।

- **खाद्य सुरक्षा के साथ सामाजिक सुरक्षा:** भोजन का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण मानवाधिकार है। इस संदर्भ में वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने पोषण सुरक्षा को एक अधिकार बना दिया। भारत की खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कम आय वाले परिवारों, बच्चों व बुज़ुर्गों जैसी कमज़ोर आबादी के बीच भूख एवं कुपोषण से निपटने के लिए कई पहलें शामिल हैं।

- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) समाज के सबसे कमज़ोर 8.92 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण पहल है।

- पोषण सुरक्षा की दिशा में एक अन्य पहल फोर्टिफाइड चावल पहल है, जो आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

- वर्ष 2019-20 से शुरू इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 31 मार्च, 2024 तक लगभग 406 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया।

- **गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर:** वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत् विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जो सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख घटक है।

- **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM- JAY):** दुनिया की सबसे बड़ी इस स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक परिवारों (लगभग 55 करोड़ लोगों) को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने पर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।

- **रोज़गार के अधिकार के साथ सामाजिक सुरक्षा:** राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 एक महत्त्वपूर्ण श्रम कानून व सामाजिक सुरक्षा उपाय है। इसका उद्देश्य 'काम का अधिकार' सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम 100 दिनों के मज़दूरी रोज़गार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

सामाजिक सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण घटक

वरिष्ठ नागरिक

- जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की बुज़ुर्ग जनसंख्या वर्ष 2031 तक 19.34 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। यह वृद्धि वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों से हुई।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)] राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि चलाई जा रही हैं।

- वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई रिवर्स मॉर्टगेज ऋण योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक बैंक में अपनी संपत्ति गिरवी रख सकते हैं और आवासीय संपत्ति के मूल्य का 60% तक का अधिकतम ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में लगभग 56.5 करोड़ श्रमिक हैं जिनमें से 45% कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवाओं में और 13% निर्माण में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 पारित किया गया जिसके तहत अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई हैं-
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता बनाई गई। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में विभिन्न संगठनों में कार्यरत कामगारों व मज़दूरों को बीमारी, प्रसूति, विकलांगता जैसी स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुँचाना है।
- संहिता में ज़िला प्रशासन द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी मज़दूरों, कामगारों, अस्थायी कामगारों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण एवं पहचान-पत्र जारी करने का प्रावधान है।
- संहिता के अंतर्गत कामगार सहूलियत केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो अलग- अलग मंत्रालयों व विभागों से उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ मुहैया करवाने में मदद कर सकें।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** इस योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में की गई। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनता को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाना था।

- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा:** वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना कामगारों व मज़दूरों को मृत्यु एवं विकलांगता होने पर सुरक्षा कवर प्रदान करती है।
- यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:** इसके तहत 20 रुपए सालाना प्रीमियम पर मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा विकलांग हो जाने पर 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना:** असंगठित क्षेत्र में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना की शुरुआत की। यह 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- **अटल पेंशन योजना:** इस योजना को पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था। इसकी शुरुआत 9 मई, 2015 को की गई थी जो मुख्यत: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक केंद्र सरकार समर्थित पेंशन योजना है।
- **महात्मा गांधी बुनकर योजना:** यह हथकरघा बुनकरों को बीमा सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

किसान

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):** यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे 24 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** इसे वर्ष 2016 को शुरू किया गया था। यह योजना किसानों को फसलों की हानि या क्षति के दौरान एक किफायती बीमा योजना के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमे पूर्व बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद तक की अप्रत्याशित घटनाओं को शामिल किया गया है।

- **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA):** इस योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल सके।
- **प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY):** इस योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य सबसे कमज़ोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक अंशदान योजना है।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इसके तहत किसानों की कृषि लागत को जैविक तरीकों से उनकी प्रति इकाई भूमि शुद्ध आय बढ़ाने और मानव उपभोग के लिए रसायनमुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन करने का प्रयास किया जाना शामिल है।
- **प्रति बूँद अधिक फसल योजना (PDMC):** इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना था।
- इस योजना में सटीक एवं सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के साथ-साथ जल संरक्षण गतिविधियों के लिए भी मदद दी जाती है।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना:** यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की अविकसित आबादी तक, बैंक खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुँच प्रदान करना है।
- **कृषि अवसंरचना कोष:** इस कोष की स्थापना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना की वर्तमान कमी को दूर करने और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।

स्वास्थ्य समानता की आवश्यकता

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 'सोशल प्रोटेक्शन एट दी क्रॉसरोड्स-इन परसुएट ऑफ ए बेटर फ्यूचर' के अनुसार, दुनिया की दो-तिहाई आबादी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना द्वारा संरक्षित है। हालाँकि, यह अनुपात क्रमश: निम्न मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों में केवल एक-तिहाई एवं पाँचवां हिस्सा है। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 'स्वास्थ्य समानता' की अवधारणा की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है।

स्वास्थ्य समानता की अवधारणा

- स्वास्थ्य समानता वह सिद्धांत है जो स्वास्थ्य और उसके निर्धारकों में असमानताओं को कम करने तथा अंतत: समाप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव मानक के लिए प्रयासरत रहना और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर खराब स्वास्थ्य के सर्वाधिक जोखिम वाले लोगों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना शामिल है। इसके सिद्धांतों में शामिल है-
- स्वास्थ्य क्षेत्र द्वारा यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता वाली एवं प्रभावी सेवाएँ हर किसी के लिए हर जगह सुलभता से उपलब्ध हों।
- स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य के व्यापक संरचनात्मक निर्धारकों पर कार्य करना, ताकि शक्ति व संसाधनों के असमान वितरण से निपटा जा सके और दैनिक जीवन की स्थितियों में सुधार लाया जा सके।
- स्वास्थ्य क्षेत्र को स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवा वितरण की निगरानी के माध्यम से स्वास्थ्य असमानताओं की निगरानी में अग्रणी भूमिका निभाना एवं लोगों की जीवन स्थितियों की निगरानी के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ काम करना।

➢ स्वास्थ्य समानता हासिल करने के लिए गरीबी, भेदभाव, शिक्षा, स्वच्छ जल एवं पोषण जैसे बुनियादी संसाधनों तक असमान पहुँच से संबंधित प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य समानता का महत्त्व

- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना
- समाज के समृद्ध और हाशिए पर स्थित लोगों के बीच के अंतर को पाटना
- बाज़ार ताकतों से प्रेरित वंचित वर्गों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना
- प्रणालीगत बाधाओं और संसाधनों तक सीमित पहुँच को संबोधित करना
- समग्र एवं एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना
- सतत् विकास लक्ष्यों में अंतर्निहित प्रतिबद्धता को पूरा करना
- संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना
- दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना

स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने हेतु योजनाएँ

➢ **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** स्वास्थ्य समानता स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में इस मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी आय समूहों के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/ केंद्र-शासित प्रदेश सरकारों को सौंपी गई।

- एन.एच.एम. के दो उप-मिशन 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)* और 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)* के साथ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मज़बूत करने में सहायता करता है, ताकि न्यायसंगत, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएँ, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा (ASHA)] बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, 24×7 सेवाएँ और प्रथम रेफरल सुविधाएँ, मेरा अस्पताल, कायाकल्प पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यान्वयन और संबंधित गतिविधियाँ, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, मुफ्त डायग्नोस्टिक्स सेवा पहल व मुफ्त दवा सेवा आदि पहलें शामिल हैं।
- **आयुष्मान भारत योजना:** इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई। इसको सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता 'कोई भी पीछे नहीं छूटे' को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- इस योजना में स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र (वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर) एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे घटक शामिल हैं।
- यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है तथा कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।
- **प्रधानमंत्री जन औषधि योजना:** केंद्र सरकार द्वारा लोगों पर दवा के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए देश भर में लगभग 11,096 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए हैं। ये फार्मेसी बाज़ार की कीमतों की तुलना में 50-90% सस्ती दरों पर आवश्यक दवाएँ उपलब्ध कराते हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी को सीधे नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **आयुष्मान भव अभियान:** यह अभियान पूरे देश और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ सरकारी क्षेत्रों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साझा मिशन के तहत एकजुट करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।
- इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गाँव एवं कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज का विस्तार करना है।

प्रौद्योगिकी-आधारित योजनाएँ

- वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में प्रौद्योगिकी की उत्कृष्ट भूमिका रही है। इस संदर्भ में मोबाइल स्वास्थ्य ऐप, विकेंद्रीकृत निदान, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने वाली कई पहलें हैं।
- इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोविन ऐप, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी और ई-हॉस्पिटल जैसी प्रमुख पहलों ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं रोगियों को जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन :** इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता एवं निजता सुनिश्चित करते हुए डाटा, सूचना व बुनियादी ढाँचा सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करना है।
- इसके तहत विभिन्न स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जैसे- लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रीप्शन आदि के द्वारा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रशासनिक बोझ को कम किया जाता है जो स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाता है।

- **ई-संजीवनी:** यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तृतीयक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों के साथ रोगी परामर्श की सुविधा प्रदान करते हैं तथा रोगी-से-प्रदाता प्लेटफॉर्म के ज़रिए नागरिकों को स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपने घरों से स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित करता है।
- **ई-हॉस्पिटल:** यह एक व्यापक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो मरीज़ों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। सरकारी एवं स्वायत्त अस्पतालों के लिए उपलब्ध यह प्रणाली आंतरिक कार्यप्रवाह को सरल बनाती है।
- **ई-रक्तकोष:** यह वर्ष 2016 में शुरू किया गया एक वेब- आधारित केंद्रीकृत रक्त बैंक प्रबंधन प्रणाली है जो 'आधार' के साथ एकीकृत है। यह रक्तदान के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करता है जिसमें डोनर ट्रैकिंग, ब्लड ग्रुपिंग एवं इनवेंटरी प्रबंधन आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

- स्वास्थ्य न केवल बीमारी की अनुपस्थिति है बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वस्थ होने में अच्छा पोषण, स्वच्छता एवं समग्र कल्याण को शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से बनाए रखना शामिल है। स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करती है कि हर किसी को उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा के निर्णयों में सक्रिय रूप से शामिल होने और अपनी ज़रूरत की सेवाओं तक पहुँचने का अवसर मिले।